संख्या- 25 /2024 / 61 /चार-2024-1881/ 2020

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2024**

विषय- राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1061/उ0प्र0सं0नि0-5(86)/2019-2020 दिनांक 01 जनवरी, 2024 तथा उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के पत्र संख्या-378/रा0बौ0सं0गो0(अवस्थापना) / 2023-2024 दिनांक 03 नवम्बर, 2023 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने हेतु रू0 1804.29 लाख (रू0 अट्ठारह करोड़ चार लाख उनतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 1524.62 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना को उन्नत कराये जाने हेतु रू0 1804.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 189.46 लाख (रू0 एक करोड़ नवासी लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 103/2021/623/चार-2021-1881/2020 दिनांक 31 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या- 208/2021/2173/चार-2021-1881/2020 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या- 313/2022/124/चार-2022-1881/2020 दिनांक 08 फरवरी, 2022, शासनादेश संख्या- 33/2023/323/चार-2023-1881/2020 दिनांक 01 फरवरी, 2023 तथा शासनादेश संख्या-17/2024/7006/चार-2023-1881/2020 दिनांक 04 जनवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -53-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 25 /2024 / 61 (1) /चार-2024-1881/ 2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी-राज्य संग्रहालय, लखनऊ/ आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।